राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

एफ 27 (258) ग्राविवि/ग्रुप–5/जीकेएन/प्रशा.अनु.समिति/ 2015–16 जयपुर, दि. 17.05.2016

–:: बैठक कार्यवाही विवरण ::–

शासन सचिव महोदय, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 12.05.2016 को आयोजित की गई। जिसमें उपस्थिति अधिकारियों की सूची परिशिष्ठ–1 पर सलंग्चन है।

बैठक में एजेण्डा वार प्रत्येक बिन्दु पर विस्तृत विचार–विमर्श कर निम्नानुसार निर्णय लिये गये है:–

बिन्दु संख्या– 1 ग्रामीण कार्य निर्देशका–2016 के संशोधित प्रारूप पर चर्चा –

विभाग द्वारा तैयार की गई संशोधित ग्रामीण कार्य निर्देशिका–2016 के प्रारूप पर बिन्दुवार विस्तार से चर्चा उपरान्त निर्देशिका के प्रारूप पर 5 मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 5 अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् 10 सहायक अभियन्ता/कनिष्ट अभियन्ता पंचायत समिति, 10 सचिव एवं 10 सरपंच गण की 15 दिवस में कार्यशाला आयोजित कर आवश्यक सुझाव प्राप्त किये जावे। कार्यशाला उपरान्त यथोचित सुझावों का समावेश कर संशोधित अंतिम प्रारूप प्रशासनिक अनुमोदन समिति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जावे

बिन्दु संख्या– 2 ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यों हेतु तकनीकी मापदण्डों / निर्देशों के प्रारूप पर चर्चा।

विभाग द्वारा तैयार की गई तकनिकी कार्य निर्देशिका–2016 के प्रारूप पर चर्चा उपरान्त निम्न तकनिकी अधिकारीयों को पुनः परीक्षण कर अंतिम रूप देने हेतु निर्देशित किया गया एवं तदुपरान्त विभागीय प्रशासनिक अनुमोदन समिति के समक्ष संशोधित अंतिम प्रारूप पुनः प्रस्तुत किया जावे

1. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, (प्रो.), पंरावि
2. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
3. श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
4. श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, अधिशाषी अभियन्ता, ग्रावि।
5. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद् टोंक।
6. श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी (अभि.) –सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या– 3 पक्के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन एवं टास्क निर्धारण तथा दर तय करने बाबत जिला दर निर्णायक समिति को अधिकृत करने पर चर्चा :–

पक्के निर्माण कार्य के लिए अकुशल श्रमिकों के स्थान पर अर्द्धकुशल श्रमिकों का नियोजन व दर निर्धारण के सम्बन्ध में तकनीकी अनुमोदन समिति की बैठक दि. 03.03.16 में निर्णय लिया गया था कि विभागीय ऑन–लाईन बीएसआर में प्रचिलत पक्के निर्माण कार्यों से सम्बन्धित 133 आईटमों में अकुशल श्रमिकों के स्थान पर विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु अर्द्धकुशल श्रमिकों की श्रेणी का नियोजन निम्नानुसार किया जाना है :–

(अ) अर्द्धकुशल श्रमिकों की श्रेणी की दरों की अधिकतम सीमा सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान बीएसआर 2014 की प्रचलित दर 300/– रू. प्रतिदिन के आधार पर रखी जावें तथा उक्तानुसार अधिकतम दर सीमा तक अर्द्धकुशल श्रमिकों की श्रेणी की स्थानीय पंचायत समितिवार दरों का निर्धारण भी कुशल श्रमिकों की दर निर्धारण प्रकिया अनुसार ही जिला कलक्टर की अध्यक्षता में गठित जिला दर निर्णायक समिति द्वारा किया जावेगा।

(ब) अकुशल श्रमिकों को प्रचलित न्यूनतम देय मजदूरी दर एवं कार्य की मात्र (टास्क) के आधार पर अर्द्धकुशल श्रमिकों को देय मजदूरी के समानुपात में सम्पादित करवाये जाने वाले कार्य की **"मात्रा (टास्क)"** को भी सार्वजनिक निर्माण विभाग की प्रचलित दर रू. 300/– प्रतिदिन के आधार पर **"मात्रा (टास्क)"** बढाये जाने का निर्णय लिया गया, जिससे विभाग द्वारा सम्पादित निर्माण कार्यों की लागत भी नहीं बढेगी एवं गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार हो सकेगा।

इस सम्बन्ध में श्रम विभाग के पत्र कमांक एफ 5(6)न्यू.वे./श्रम/2002/पार्ट /8672 दिनांक 07.04.2016 के अनुसार विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति के स्तर से लिए गये निर्णय में न्यूततम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का कोई उल्लंघन नहीं होता है एवं इससे श्रम विभाग को कोई आपत्ती भी नहीं है।

उक्त सम्बन्ध में बैठक में चर्चा उपरान्त निर्णय लिया गया कि श्रम विभाग की राय एवं विभागीय तकनीकी अनुमोदन समिति के निर्णय अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग की वर्तमान बीएसआर 2014 की प्रचलित दर 300/– रू. प्रतिदिन अधिकतम सीमा तक अर्द्धकुशल श्रमिक की दर निर्धारण जिला दर निर्धारण समिति को अधिकृत कर दिया जावे। इसी कम में अर्द्धकुशल श्रमिक द्वारा सम्पादित कराये जाने वाले कार्य की बढायी जाने वाले अनुपातिक टास्क मात्रा (वर्तमान प्रचलित अकुशल श्रम दर से अर्द्धकुशल श्रमिक की अधिकतम दर 300/– रू. प्रतिदिन की अनुपातिक मात्रा आईटम वार अकुशल श्रमिकों के आधार पर निर्धारित दर की वित्तिय सीमा तक)निर्धारण हेतु उक्तानुसार बिन्दु संख्या–2 में गठित तकनिकी अधिकारीयों की कमेटी को पुनः परीक्षण उपरान्त विभागीय साफ्टवेयर में आवश्यक प्रावधान का संशोधित अंतिम प्रारूप प्रशासनिक अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जावे

बिन्दु संख्या–4 बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/वर्षवार श्रम/सामग्री/उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का साफ्टवेयर में प्रावधान करने आदि / साफ्टवेयर दर विश्लेषण में विसगंत आईटमों के दर विश्लेषण बाबत चर्चा।

बीएसआर साफ्टवेयर में दर विश्लेषण की तरह दिनांक/वर्षवार श्रम/सामग्री/उपकरण की बेसिक दर एवं दर अनुसूची (बीएसआर) का सृजन का प्रावधान करने तथा आफ लाईन की गई गणनाओं/विवरण का परीक्षण एवं बीएसआर साफ्ट सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.6 पत्थर की चाप, ईकाई घन मीटर के लिए जिलो द्वारा निर्धारित दर/विवरण का अध्ययन/परीक्षण कर अपनी रिपोर्ट तकनीकि अनुमोदन समिति की बैठक दिनांक 28.04.2016(बैठक कार्यवाही विवरण दिनांक 29.04. 2016) में गठित समिति को दिनांक 25.05.2016 तक प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

इसके साथ ही मिट्टी खुदाई कार्य मशीन (टेक्टर मय स्क्रेपर, जेसीबी एवं डोजर) से करवाये जाने हेतु अनुमत गतिविधि के संदर्भ में विभाग द्वारा जारी पूर्व पत्र कमांक एफ 27(78)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/दर विश्लेषण/2012–13 दिनांक 25 जून, 2013 के द्वारा लिए गये निर्णय एवं आदेश कमांक एफ 27(36)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/बीएसआरसॉफ्ट /2015–16 दिनांक 11.01.2016 द्वारा अनुमत की गई दर के संदर्भ में वस्तुस्थिति का पूर्णतः अवलोकन एवं परीक्षण/दर विश्लेषण/क्षेत्र में उपरोक्त गतिविधि सम्पादित होने की स्थितियों का आंकलन करने के उपरान्त तुलनात्मक दृष्टि से **समुचित दर विश्लेषण**/विवरण, बीएसआरसॉफ्ट सामग्री सूची के आईटम संख्या 9.5 पत्थर की चाप, इकाई घनमीटर के लिए जिलों द्वारा निर्धारित दर/विवरण एवं **साफ्टवेयर दर विश्लेषण में विसगंत आईटमों के दर विश्लेषण** भी तैयार करने हेतु उक्तानुसार बिन्दु संख्या–2 में

गठित तकनिकी अधिकारीयों की कमेटी को दिनांक 25.05.2016 तक पुनः परीक्षण उपरान्त संशोधित अंतिम प्रारूप प्रशासनिक अनुमोदन समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु पुनः प्रस्तुत किया जावे प्रस्तुत किया जावे।

बिन्दु संख्या–5 राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 181(1) निर्माण नीति के सम्बन्ध में ग्राम सेवक संघ से प्राप्त सुझावों पर चर्चा।

राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 181(1) निर्माण नीति के सम्बन्ध में ग्राम सेवक संघ से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। पंचायती राज विभाग द्वारा जारी परिपत्र कमांक एफ–4 सविदा/विधि/पंरा/2012/2069 दिनांक 21.09.2012 में आवश्यक संशोधन के सम्बंध में बिन्दु संख्या– 2 में गठित समिति से परीक्षण कराकर तदनुसार आगामी प्रशासनिक अनुमोदन समिति की बैठक में पुनः चर्चा कराने का निर्णय लिया गया।

अंत में बैठक सधन्यवाद के साथ समाप्त हुई।

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास विभाग।
5. निजी सचिव, आयुक्त, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि), ग्रामीण विकास।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंचायती राज।
8. अधीक्षण अभियन्ता (ईजीएस), महात्मा गॉधी नरेगा, ग्रामीण विकास।
9. संयुक्त निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू सरक्षण विभाग, जयपुर।
10. समस्त जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष, जिला निर्णायक समिति, जिला परिषद् समस्त राजस्थान।
11. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
12. परियोजना निदेशक एवं पदेन उप सचिव, (मो. एवं मू.), ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
13. अधिशाषी अभियंता (अभि), जिला परिषद (ग्रा.वि.प्र.) एवं सदस्य सचिव जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
14. श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता (प्रो.), पंरावि।
15. श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
16. श्री अरविंद सक्सेना, अधिशाषी अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
17. श्री भास्कर दत्त त्रिपाठी, अधिशाषी अभियन्ता, ग्रावि।
18. श्री राजेश बंसल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद टोंक।
19. सहायक प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग, को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड करने बाबत।
20. रक्षित पत्रावली।

अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

परिशिष्ट–1

शासन सचिव, ग्रामीण विकास की अध्यक्षता में तकनीकी अनुमोदन समिति बैठक दिनांक 12.05.2016 में उपस्थित संभागियों का विवरण :–

क.सं.	अधिकारी का नाम
1	श्री राधेश्याम मीणा, वित्तीय सलाहकार, महात्मा गांधी नरेगा।
2	श्री सिरमौर मीणा, वित्तीय सलाहकार, ग्रावि।
3	श्री बाबू लाल मीणा, संयुक्त निदेशक, जलग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग
4	श्री मुकेश माहेश्वरी, अधीक्षण अभियन्ता, (प्रो.), पंरावि
5	श्री विजय चौधरी, अधीक्षण अभियन्ता, महात्मा गांधी नरेगा।
6	श्री के. के. शर्मा, अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि
7	श्री राजेश बन्सल, अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद टोंक।
8	श्री लोकेश पूनिया, परियोजना अधिकारी, (अभि.), ग्रावि।

बिन्दु संख्या–5 राजस्थान पंचायती राज नियम–1996 के नियम 181(1) निर्माण नीति के सम्बन्ध में ग्राम सेवक संघ से प्राप्त सुझावों पर चर्चा।